



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072022-237679
CG-DL-E-29072022-237679

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3316]
No. 3316]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2022/श्रावण 6, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2022/SHRAVANA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2022

का.आ. 3481(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2151 (अ), दिनांक 09 मई 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के हरदा जिले में NH47 के कि.मी. 13.55 से कि.मी. 34.1 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टिमरनी , तहसील -टिमरनी, जिला - हरदा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "21 मई 2022 " को "दैनिक भास्कर " और "टाइम्स ऑफ़ इंडिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के हरदा जिले में NH47 के कि.मी. 13.55 से कि.मी. 34.1 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टिमरनी, तहसील -टिमरनी, जिला - हरदा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: हरदा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: रेहटगांव				
	गांव का नाम: बहरागाँव				
1	151	निजी	सिंचित	0.09	रामगुलाम पिता रामनाथ जाति गुर्जर (151)
2	171/3	निजी	सिंचित	0.052	गोकुल प्रसाद पिता राधेश्याम जाति गुर्जर (171/3)
3	175/2	निजी	सिंचित	0.0971	गोकुल प्रसाद पिता राधेश्याम जाति गुर्जर (175/2)
4	256/4	निजी	सिंचित	0.0368	राजेन्द्र सिंह वल्द रवेल सिंह जाति खनूजा (256/4)
5	256/5	निजी	सिंचित	0.005	अमरदास वल्द प्रह्लाद जाति चमार (256/5)
	गांव का नाम: बलिया खेड़ी				
6	1/16	निजी	सिंचित	0.0324	चम्पालाल पिता गेंदालाल जाति गुर्जर (1/16)
7	26/13	निजी	सिंचित	0.032	विजय लक्ष्मी पत्नी कार्तिकेय जाति गुर्जर (26/13)
8	26/9, 26/10	निजी	सिंचित	0.1096	राहुल कुमार पिता संतोष कुमार (26/9, 26/10)

	गांव का नाम: डोलरिया				
9	33/1	निजी	सिंचित	0.2512	करतार सिंह पिता हरीराम जाति राजपूत (33/1)
	गांव का नाम: सिरकम्बा				
10	6/1	निजी	सिंचित	0.008	अमरदास पिता दयाराम जाति कुडमी (6/1)
11	6/2	निजी	सिंचित	0.001	अमरदास पिता दयाराम जाति कुडमी (6/2)
	गांव का नाम: टेमरागांव				
12	264/2, 264/3	निजी	सिंचित	0.166	अनूप कुमार पिता जुगलकिशोर जाति पालीवाल, सुचिता पत्नी अनूप कुमार जाति पालीवाल (264/2,264/3)
13	264/5	निजी	सिंचित	0.0428	अंकित पिता अरविन्द जाति पालीवाल (264/5)
14	264/6	निजी	सिंचित	0.005	प्रदीप कुमार पिता जोखीलाल जाति पालीवाल (264/6)
15	269/2	निजी	सिंचित	0.0566	अर्चना पत्नी राजेन्द्र जाति ब्राम्हण (269/2/1)
16	57/5,58/2	निजी	सिंचित	0.16	रमेश पिता बालाराम जाति किरार (57/5, 58/2)
17	60/3	निजी	सिंचित	0.0526	अशोक कुमार पिता अजब सिंह जाति राजपूत (60/3)
			कुल	1.1981	

[फा. सं. Harda-Betul/Pkg-I/Chw/13214/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2022

S.O. 3481(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2151(E), dated 09 May, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and

operation of NH47 on the stretch of land from Km. 13.55 to Km. 34.1 (Sub Divisional Officer (Revenue) Timarni , Tehsil-Timarni, DIST.- HARDA) in the district of HARDA in the state of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Times of India” both dated 21 May 2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH47 in the stretch of land from Km. 13.55 to Km. 34.1 of NH47 (Sub Divisional Officer (Revenue) TIMARNI , TEHSIL-Timarni, DIST.- HARDA) in the district of HARDA in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: HARDA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Rehatgaon				
	Village: Baharagaon				
1	151	Private	Irrigated	0.09	Ram Gulam S/o Ramnath Caste Gurjar 151
2	171/3	Private	Irrigated	0.052	Gokul Prasad S/o Radheshyam Caste Gurjar 171/3
3	175/2	Private	Irrigated	0.0971	Gokul Prasad S/o Radheshyam Caste Gurjar 175/2
4	256/4	Private	Irrigated	0.0368	Rajendra Singh S/o Ravel Singh Caste Khanooja 256/4
5	256/5	Private	Irrigated	0.005	Amardas S/o Prahlad Caste Chamar 256/5
	Village: Baliya Khedi				
6	1/16	Private	Irrigated	0.0324	Champalal S/o Gendalal Caste Gurjar 1/16
7	26/13	Private	Irrigated	0.032	Vijay Laxmi W/o Kartikey Caste Gurjar 26/13
8	26/9, 26/10	Private	Irrigated	0.1096	Rahul Kumar S/o Santosh Kumar 26/9, 26/10
	Village: Dolariya				
9	33/1	Private	Irrigated	0.2512	Kartar Singh S/o Hariram Caste Rajpoot

					33/1
	Village: Sirkamba				
10	6/1	Private	Irrigated	0.008	Amardas S/o Dayaram Caste Kudmi 6/1
11	6/2	Private	Irrigated	0.001	Amardas S/o Dayaram Caste Kudmi 6/2
	Village: Temagaon				
12	264/2, 264/3	Private	Irrigated	0.166	Anoop Kumar S/o Jugal Kishor Caste Paliwal, Suchita W/o Anoop Kumar Cast Paliwal 264/2,264/3
13	264/5	Private	Irrigated	0.0428	Ankit S/o Arvind Caste Paliwal 264/5
14	264/6	Private	Irrigated	0.005	Pradeep Kumar S/o Jokhilal Caste Paliwal 264/6
15	269/2	Private	Irrigated	0.0566	Archna W/o Rajendra Caste Bramhan 269/2/1
16	57/5,58/2	Private	Irrigated	0.16	Ramesh S/o Balaram Caste Kirar 57/5, 58/2
17	60/3	Private	Irrigated	0.0526	Ashok Kumar S/o Ajab Singh Caste Rajput 60/3
			TOTAL	1.1981	

[F. No. Harda-Betul/Pkg-I/Chw/13214/3D]

RAJESH GUPTA, Director